न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी मुकुट सिंह आर0ए0एस

मुकदमा नं0 08/2023

अशोक कुमार पुत्र गोरीशंकर जाति खण्डेलवाल निवासी 90 रामनाथपुरी, कालवाड रोड, झोटवाडा जयपुर जिला जयपुर राज0।

वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश जोशी पुत्र कन्हैयालाल जोशी जाति ब्राहमण निवासी खेडी अलूफा तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज0।
2. कमली देवी पुत्री बोदू
3. चूंकी देवी पुत्री बोदू
4. छोटूराम पुत्र बोदू
5. झमरी पत्नि बोदू
6. प्रेमदेवी पुत्री बोदू
7. भागू देवी पुत्री बोदू
8. रामचन्द्र पुत्र बोदू

   समस्त जाति जाट निवासी बस्सी नागा तहसील जोबनेर जिला जयपुर।
9. सीताराम शर्मा पुत्र श्री हनुमानप्रसाद शर्मा जाति ब्राहमण नि0 पचार तह0 कालवाड जिला जयपुर।
10. एचडीएफसी बैंक लि. जरिये शाखा प्रबंधक शाखा कि. रेनवाल जयपुर।
11. तहसीलदार तहसील जोबनेर जिला जयपुर।
12. उप पंजीयक जोबनेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :— 1. श्री लक्ष्मीनारायण कलवानियां वकील वादी

2. श्री बबलू कुमावत वकील प्रतिवादी संख्या 1 व 9

3. श्री अताउल्लाह खान वकील प्रतिवादी संख्या 10

दिनांक :— 10/01/2025

निर्णय

वादी द्वारा यह दावा विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि विवादित खाता नं0 नया 204 पुराना 83 की आराजी ख0न0 140 रकबा 4.4637 है0 मे वादी 1/9 हिस्से का रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है। एवं प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 9 चालू जमाबंदी मे दर्ज हिस्सेनुसार रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है और मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण हिस्सेनुसार काबिज काश्त चले आ रहे

उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

है एवं उपयोग उपभोग करते आ रहे है। विवादग्रस्त आराजीयात राजस्व रिकार्ड मे अविभाजित आराजीयात है विधिवत हिस्सेनुसार विभाजन नही हो रखा है एव उपयोग उपभोग करते आ रहे है। प्रतिवादीगण की नियत खराब हो गयी है ओर वह विवादग्रस्त आराजीयात मे अपने हिस्से से अधिक आराजी पर कब्जा करना चहाते है व वादी को उसके हिस्से से बेदखल करना चहाते है एवं अपने हिस्से की आराजीयात बेचान कर मनचाहा भाग पर कब्जा कराने एवं राजस्व रिकार्ड मे परिवर्तन कराने, पर उतारू है।

वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण तकासमे का प्रारंभिक डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजीयात खाता नं0 नया 204 पुराना 83 की आराजी ख0न0 140 रकबा 4.4637 है0 किस्म बारानी 2 कुल खसरे 1 कुल रकबा 4.4637 है0 वाके ग्राम बस्सीनागा पटवार हल्का बस्सीनागा भू0अभि0नि0कालख तहसील जोबनेर जिला जयपुर मे वादी एवं प्रतिवादीगण का चालू जमाबंदी मे दर्ज हिस्सेनुसार अच्छी मे से अच्छी बुरी मे से बुरी बाई मिटस एण्ड बोण्डस हिस्सेदारान की भूमि मे आने जाने का रास्ता कायम करते हुये विभाजन किया जाकर वादी का 1/9 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं01 लगा09 का जमाबंदी मे दर्ज हिस्सेनुसार विधि अनुसार अलहदा–अलहदा किया जाकर लगान की फाटबंदी करायी जाकर नक्शे कुरेजात मंगवाये जाकर दावा वादी अंतिम डिक्री फरमाया जाकर वादी के हिस्से मे बाद तकासमा जो आराजी आवे का तन्हा खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वह विवादग्रस्त आराजी मे बाद तकासमा जो आराजीयात आवे मे वादी के कब्जे, उपयोग उपभोग मे मजाहमत पैदा न करे न अन्य से करावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 8 की तामील इन्कारी के साथ प्राप्त होने के कारण इनके विरूद्ध दिनांक 10.01.2024 को एक पक्षयी कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 1 एवं 9 मय अधिवक्ता उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 11 व 12 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे, जिसके कारण उनके विरूद्ध दिनांक 28.06.2024 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 1 एवं 9 द्वारा जवाब इस आशय का पेश किया गया कि वादी का वाद मुताबिक वादपत्र डिक्री किया जाने पर प्रतिवादी संख्या 1 एवं 9 को कोई आपत्ति नहीं है। बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादी ने दावे में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया है। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 एवं 9 की ओर से दौराने बहस वादी का वाद मुताबिक वादपत्र प्राथमिक डिक्री किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गयी। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 10 द्वारा दौराने बहस अपने जवाब में अंकित तथ्यों का दोहरान किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दिनांक 12.07.2024 वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य अच्छी मे से अच्छी बुरी मे से बुरी/बाई मिट्स एण्ड बोण्डस एवं हिस्सेदारान की भूमि मे आने जाने का रास्ता कायम करते हुये प्राथमिक डिक्री किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.07.2024 की पालना में तहसीलदार, जोबनेर द्वारा दिनांक 05.12.2024 को कुरेजात प्रस्तुत किये गये। अधिवक्ता उभयपक्षकारान द्वारा वादी का वाद दिनांक 05.12.2024 को पेश कुरेजात रिपोर्ट के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार, जोबनेर द्वारा प्राप्त कुरेजात का अवलोकन किया गया। वादी का वाद दिनांक 05.12.2024 को पेश कुरेजात रिपोर्ट के अनुसार अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

वाकै ग्राम बस्सी नागा तह0 जोबनेर

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1.	अशोक कुमार पुत्र गौरीशंकर खण्डेलवाल निवासी 90, रामनाथपुरी, कालवाड रोड झोटवाडा	140/A	0.4960	बारानी 2	
		किता – 01	0.4960	बारानी 2	
2.	ओमप्रकाश जोशी पुत्र कन्हैयालाल सा. खेडी अलुफा	140/B	0.2480	बारानी 2	
		किता – 01	0.2480	बारानी 2	
3.	सीताराम शर्मा पुत्र हनुमान प्रसाद शर्मा सा. पचार सहन–एचडीएफसी बैंक लि. किशनगढ रेनवाल	140/C	0.2480	बारानी 2	
		किता – 01	0.2480	बारानी 2	
4.	कमली देवी पुत्री बोदू 1/7 जाति–जाट चूंकीदेवी पुत्री बोदू 1/7 जाति–जाट छोटूराम पुत्र बोदू 1/7 जाति–जाट झमरी पत्नि बोदू 1/7 जाति–जाट प्रेमदेवी पुत्री बोदू 1/7 जाति–जाट भागूदेवी पुत्री बोदू 1/7 जाति–जाट रामचन्द्र पुत्र बोदू 1/7 जाति–जाट	140/D	3.4717	बारानी 2	
		किता – 01	3.4717	बारानी 2	

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रस्तुत कुरेजात दिनांक 05.12.2024 के अनुसार अंतिम डिक्री किया जाकर तहसीलदार जोबनेर को आदेश दिये जाते हैं कि मुताबिक डिक्री कुरेजात राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। बैंक रहन संबंधित खातेदार के द्वारा बैंक के पक्ष में रहन रखे गये हिस्से को उसके खसरा नम्बर/रकबा के विरुद्ध दर्ज किया जावे। बैंक का रहन खातेदारों के नाम यथावत रहेगा। पर्चा डिक्री तहरीर जारी की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2025 को टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुकुट सिंह, RAS
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर जयपुर